लय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीं अमीलाल यादव R.A.S.

प्र. मु. 94 / 2024

1 श्रवणराम पुत्र सादूलाराम जाति महा ब्राहम्ण (अचरिज) निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1 बीरबलराम पुत्र मालूराम जाति महा ब्राहाम्ण (अचरिज) निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू

2 भागीरथ पुत्र मालूराम जाति महा ब्राहाम्ण (अचरिज) निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू

3 खींयाराम पुत्र मालूराम जाति महा ब्राहाम्ण (अचरिज) निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू

4 नोपाराम पुत्र मालूराम जाति महा ब्राहाम्ण (अचरिज) निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू

5 पतू देवी पत्नि सोहनराम जाति महा ब्राहाम्ण (अचरिज) निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू

6 ओमाराम पुत्र सोहनराम जाति महा ब्राहाम्ण (अचरिज) निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू

7 शारदा पत्नि सादूलाराम जाति महा ब्राहाम्ण (अचरिज) निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू

8 जसू पुत्री सादूलाराम जाति महा ब्राहाम्ण (अचरिज) निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू

9 भगवानी पुत्री सादूलाराम जाति महा ब्राहाम्ण (अचरिज) निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू

10 लाडू उर्फ लादू उर्फ सम्पत पुत्री सादूलाराम जाति महा ब्राहाम्ण (अचरिज) निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू

11 बिंजूराम उर्फ बिरजुराम पुत्र सादूलाराम जाति महा ब्राहाम्ण (अचरिज) निवासी ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू

12 गोपालसिंह पुत्र रेवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू

13 शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कातर छोटी तह. बीदासर चूरू

14 शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा ईंयारा तह. बीदासर चूरू

15 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर (चूरू)

16 उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय कातर छोटी तह. बीदासर जिला चूरू

17 उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू

.............प्रतिवादीगण

"राजस्व वाद कृषि भूमि के खातेदारी विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ती हेतू हर प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955"

उपस्थित :–

1 वादी :– श्री अख्तर सोलंकी एडवोकेट

2 प्रतिवादी स. 1 ता 12 मोहम्मद शाहिद एडवोकेट

3 प्रतिवादी स. 15 – पैरोकार राज.

लगातार..... 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

निर्णय

दिनांक :– 3 /7 /2025

वाद पत्र के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 12 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत खाता नम्बर 436 खेत खसरा नम्बर 133 रकबा 12.6717 हैक्टेयर (50–02 बीघा), खाता नम्बर 484 खसरा नम्बर 213 रकबा 12.3681 हैक्टेयर (48–18बीघा) खाता नम्बर 77 खसरा नम्बर 453 रकबा 10.6736 हैक्टेयर (42–04 बीघा), खसरा नम्बर 634 रकबा 11.9888 हैक्टेयर (47–08 बीघा) तथा खेत खाता नम्बर 748 खसरा नम्बर 1244/191 रकबा 6.6393 हैक्टेयर (26–05 बीघा) वाके रोही ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित चले आ रहे है वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 12 का खान पान, लेन देन, रहन सहन सब अलग अलग है तथा वादगत खेतों को भी अलग अलग ही काश्त करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 11 स्व. मालूराम वल्द पन्नाराम अचरिज के उतराधिकारी वारिसान है उपरोक्त वादगत खसराजात की भूमि सम्पति वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 11 के पूर्वज पिता/ससुर/दादा के वक्त की पुश्तैनी सम्पति है, तथा प्रतिवादी सख्या 12 की खरीद शुदा भूमि सम्पति है वादगत कृषि भूमि का मालूराम ने अपने जीवनकाल में ही मौखिक विभाजन करते हूए अपने पुत्र उतराधिकारीयों मे अलग अलग विभक्त करके अपने पुत्रों को किये गये हिस्सा पांती अनुसार सीवें कायम करवा दी थी तब से ही वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 11 अपने अपने हिस्सा पांती में आई भूमि पर काबिज काश्त है वादगत खेत खसराजात की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में सयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही है जिसके कारण वादी को कई प्रकार की कानुनी आपत्तियों का सामना करना पड़ता है तथा प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 12 सींवों को लेकर आये दिन विवाद करते रहते है जिसके कारण वादी अपने हिस्से पांती व कब्जा काश्त के खेतो में अपने हिस्सा भूमि की खातेदारी का विधिवत आधार पर विभाजन करवा कर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अपने नाम से पृथक दर्ज करवा कर लगान का विभाजन करवाना चाहता है जिसका वादी कानूनी अधिकारी है। वादी का वादगत खेतों में दादा मालूराम के वक्त से किये गये विभाजन के अनुसार कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है वादगत खेत खसराजात कुल 5 खसरों की कुल भूमि तादादी 214–17 बीघा है जिनका स्व. मालूराम के 6 पुत्र सन्तान पक्षकारान् में विभाजम किया हुआ है मौके पर प्रत्येक हिस्सेदार की पृथक पृथक सीवें कायम है वादगत खसराजात में खेत खसरा नम्बर 133 रकबा 12.6717 हैक्टेयर (50–02 बीघा) सम्पूर्ण प्रतिवादी बीरबलराम व भागीरथराम के हिस्सा पांती में किया हुआ है जिसमें प्रतिवादी सख्या बीरबलराम व भागीरथराम की पुख्ता पक्की सींव कातले, तारबन्दी की हुई है। उक्त वादगत खसरा भूमि को प्रतिवादी बीरबलराम व भागीरथराम वर्षो से यानि पिता मालूराम के जीकनकाल से काश्त कर रहे है वादगत खेत खसराजात में से खेत खसरा नम्बर 213 रकबा 12.3681 हैक्टेयर (48–18 बीघा) में से अनरेकॉर्डेड ग्रेवल मार्ग से दिखणादी तरफ की 9–00 बीघा भूमि वादी 1 एवं प्रतिवादी स. 7 से 11 के कब्जा काश्त में है तथा ग्रेवल मार्ग से उतरी तरफ की बाकी भूमि में से पैतृक मूल रकबा 214–17 बीघा का 1/6 हिस्सा मुताबिक 35–16 बीघा प्रतिवादी सख्या 5, 6 के हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त में तथा बकिया भूमि 4–02 बीघा प्रतिवादी स. 4 नोपाराम के कब्जा काश्त एवं हिस्सा पांती में की हुई है वादगत खेत खसरा नम्बर 1244/191 रकबा 6.6393 हैक्टेयर (26–05 बीघा) सम्पूर्ण वादी 1 व 7 ता 11 के हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त में किया हुआ है उक्त खसरा भूमि में वादी 1 व 7 ता 11 की एक पुख्ता पक्की कुण्ड, झोपड़ा बना हुआ है तथा चारो तरफ कातले रोप कर तारबन्दी की हुई है। उक्त खसरा भूमि सड़क ईयारा कैम्प से ग्राम ईयारा पर आथुणी तरफ स्थित है, उक्त खसरा भूमि में प्रतिवादी सख्या 12 गोपालसिंह की खरीद शुदा हिस्सा भूमि है वादगत खेत खसरा नम्बर 453 रकबा 10.6736 हैक्टेयर (42–04 बीघा) में से उतरी तरफ की 20–00 बीघा भूमि प्रतिवादी बीरबलराम के कब्जा काश्त में तथा दक्षिणी तरफ की 22–04 बीघा भूमि नोपाराम के हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त में है दोनो

लगातार.....3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

खातेदारों की अपने अपने हिस्सा पांती अनुसार पुख्ता पक्की सीवें तारवन्दी कायम है। प्रतिवादी स. 1 की पक्की पानी की कुण्ड बनी हुई है पुख्ता पक्के मकानात बने हुए है, कातले रोप कर अपने अपने हिस्सा पांती की पुख्ता पक्की तारवन्दी की सींव कायम है जो करीब 35 से 40 वर्षो से कायम हैं वादगत खेत खसरा नम्बर 634 रकवा 11.9888 हैक्टेयर में से पैतृक मूल रकबा 214–17 वीघा का 1/6 हिस्सा मुताबिक 35–16 वीघा प्रतिवादी स. 3 खींयाराम के हिस्सा पांती, कब्जा काश्त में तथा बाकी भूमि प्रतिवादी स. 4 नोपाराम के कब्जा काश्त में है। उक्त खसरा भूमि के पुख्ता पक्की तारवन्दी काविज काश्त हिस्सेदार एवं दो खातेदारों द्वारा ही की हुई है उतरादी पाखी की प्रतिवादी स. 3 खींयाराम के हिस्सा पांती में प्रतिवादी स. 3 तीन की पुख्ता पक्की कुण्ड व एक शाळ बनी हुई है वादी ने प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 12 से कई बार आपसी तौर पर वादगत खेतों की खातेदारी का मुताबिक कब्जा काश्त के विधिवत विभाजन करवाने के लिए कहा लेकिन वोह टालमटोल करते रहे। प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 12 वादगत खेतों की सींव को काट कर समाप्त कर देते है तथा कई बार आकर ऐलानिया धमकीया देते है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 1244/191 सड़क पर है तथा खेत खसरा नम्बर 634 ईयांरा से दिखणादी तरफ स्थित है जिसके पूर्वी सींव के चिपते चिपते पक्की काली सड़क ईयांरा से उंन्टालड़ बनी हुई है जिनमें हम खातेदारी हिस्सा पांती अनुसार कब्जा करेगे प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 11 ने वादी के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बना लिया है वादी शान्तिप्रिय, कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है वादी ने प्रतिवादीगण से अन्तिम वार दिनांक 28–12–2024 को निवेदन किया कि वादगत खेतों की खातेदारी का मुताबिक कब्जा काश्त के विधिवत विभाजन करवा देवें तथा मुझ वादी के कब्जा कांश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 11 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये तथा वादी को ऐलानिया धमकी दी की हम वादगत भूमि में तुम्हारे हिस्सा पर जवरन कब्जा करेगे तथा वादगत खेतों में जहां चाहे कब्जा करके पक्का निर्माण करके रहेगे। वादगत खेतों का जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इन्च पर कब्जा काश्त माना जाता है वादगत खेतो का बिनां विधिवत विभाजन कराये किसी भी सहखातेदार को वादगत खेत की खातेदारी शामिलाती होने के कारण भूमि पर मिलने वाले सरकारी फायदों को उठाने में परेशानीयों का सामना करना पड़ता है लेकिन प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 11 पैसे वाले, राजनैतिक संरक्षण प्राप्त बलशाली व्यक्ति, भू–माफिया लोगो से सांठगांठ रखने वाले व्यक्ति है जिनका बलपूर्वक मुकाबला करने में वादी असमर्थ है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निशेधाज्ञा डिक्री से प्रतिवादीगण को वर्जित करावें कि जब तक वादगत खेत का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक वादगत खेतों के किसी भी हिस्से या अंश को विक्रय, वन्धक, हस्तान्तरण, वैय आदि नहीं करें ना ही वादी के हक हिस्सा की भूमि के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी देवें तथा ना वादी को उसके हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमि से जवरन वेदखल करें, वादगत भूमि वाके रोही ईयारा में वादी के दादा मालूराम के वक्त से किये गये हिस्सा पांती अनुसार कब्जा काश्त होने एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के आधार पर वादी को सतत वादाधार प्राप्त है तथा प्रतिवादीगण द्वारा 28–12–2024 को ऐलानिया धमकी देने व विभाजन करने से साफ इन्कार होने पर वादी को वाद हैतुक प्राप्त है यह कि राजस्व वाद वादी बहक प्रतिवादीगण के मध्य नीजि सम्पति होने एवं राज्य हित के विपरीत न होने एवं राज्य हित निहित न होने के बावजूद भी भू धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर एवं अति. तहसीलदार कातर छोटी को पक्षकार संयोजित किया गया है। दावा अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का होने के कारण राजस्थान सरकार के खिलाफ प्रस्तुत दावे में दो माह का पूर्व नोटिस देने से छूट का

लगातार.....4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

प्रार्थना पत्रअन्तर्गत धारा 80 (2) सी. पी. सी. का प्रस्तुत किया जाकर दावा श्रीमानजी के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है वादी का वाद कृषि भूमि के खातेदारी विभाजन एवं चिर निषेघाज्ञा डिक्री प्राप्ती का है तथा वादगत खेत वाके रोही ईयारां तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान जी के न्यायालय को हर प्रकार से प्राप्त है वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भितर वाद दो प्रतियों में मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादगत खेत खाता नम्बर 436 खेत खसरा नम्बर 133 रकबा 12.6717 हैक्टेयर, खाता नम्बर 484 खसरा नम्बर 213 रकबा 12.3681 हैक्टेयर, खाता नम्बर 77 खसरा नम्बर 453 रकबा 10.6736 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 634 रकबा 11.9888 हैक्टेयर तथा खेत खाता नम्बर 748 खसरा नम्बर 1244/191 रकबा 6.6393 हैक्टेयर वाके रोही ईयारा तहसील बीदासर में वादी एवं प्रतिवादी स. 1 ता 12 का पांती अनुसार एवं दादा के वक्त से किये गये हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त अनुसार विभाजन किया जाकर वादी के हिस्सा भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम पृथक पृथक दर्ज की जाकर लगान का विभाजन किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये चिर निषेधाज्ञा की डिक्री से वर्जित किया जावें की वादगत खेतों का विधिवत रूप से जब तक विभाजन नहीं हो जाता तब तक वादगत खेतो के किसी भी हिस्से या अंश को विक्रय, हस्तान्तरण, रहन, बैय आदि नहीं करें और ना ही वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी देवे और न ही वादी को उनके हिस्से पांती की भूमि से जबरन बैदखल करें। ना ही प्रतिवादीगण कोई ऐसा तर्क या तर्क फैल स्वयं करें या अपने एजेन्ट से करवाये जिससे वादी के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। प्रतिवादी सख्या 15 को आदेश फरमाया जावे की वोह मुताबिक न्यायालय निर्णय एवं डिक्री के राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे, अन्य अनुतोष जो हितकर वादी को दिलवाया जावे आदि आदि अनुतोष चाहा।

उपरोक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रकरण में दिनांक 3/06/2025 को वादी के मिशल पैशी पर लेने के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली मिशल पेशी में ली गई, प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 की और से मोहम्मद शाहिद एडवोकेट ने वकालतनामा मय राजीनामा, नजरी नक्शा प्रस्तुत किया। राजीनामा मय नजरी नक्शा बाद जांच शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली आइन्दा कार्यवाही हेतू दिनांक 17/6/2025 को रखी गई। प्रकरण में दिनांक 11/6/2025 को प्रतिवादी सख्या 3, 4, 6 की और से आपत्ति प्रार्थना पत्र बाबत राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तारीख पेशी 1/7/2025 को प्रतिवादी सख्या 3, 4, 6 ने स्वयं हाजिर होकर फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर कर अपनी आपत्ति विड्रा करते हूए राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रतिवादी स. 15 सरकार की और से पैरोकार राज ने लिखित जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रकरण में इस प्रकरण में प्रतिपक्ष द्वारा किसी प्रकार का जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के विवाधकों की विरचना नहीं की गई। प्रकरण में पक्षकार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा होने के कारण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। राजीनामा में पक्षकार वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा एवं नजरी नक्शा अनुसार विभाजन एवं रेकार्ड दुरूस्ति का निवेदन किया गया है।

लगातार......4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

आदेश

वादी का वाद बाबत विभाजन जरिये राजीनामा, संलग्न नक्शा के अनुसार अन्तिम रूप से डिकी इस प्रकार किया जाता है कि वादगत वादगत खेत खाता नम्वर 436 खेत खसरा नम्बर 133 रकबा 12.6717 हैक्टेयर, खाता नम्बर 484 खसरा नम्वर 213 रकवा 12. 3681 हैक्टेयर, खाता नम्बर 77 खसरा नम्बर 453 रकबा 10.6736 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 634 रकबा 11.9888 हैक्टेयर तथा खेत खाता नम्बर 748 खसरा नम्बर 1244/191 रकवा 6.6393 हैक्टेयर वाके रोही ईयारा तहसील बीदासर का राजीनामा के पृष्ठ सख्या 2 व 3 में अंकितानुसार हिस्सा एवं नक्शा अनुसार पाखीयां हिस्सा पांती में रखते हूए प्रतिवादी सख्या 13, 14 वित्तिय संस्था बैंकों का हित सुरक्षित रखते हूए पृथक पृथक खातेदारी दर्ज कर अलग अलग लगान कायम किया जावे। राजीनाा व नक्शा अन्तिम डिकी का भाग रहेगा। इस प्रकार तहरीर प्रतिवादी सख्या 15 तहसीलदार बीदासर के नाम जारी हो। मामले के तथ्य परिस्थितियों को देखते हूए खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगे। इस प्रकार अन्तिम पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03 / 7 /2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

अमीलाल यादव R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी बीदासर-चूरू
बीदासर

अन्तिम डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

{Civil Procedure code, Appendix "D-1"}

अज अदालत ...**श्रीमान उपखण्ड अधिकारी** ....मुकाम........**बीदासर जिला चूरू** ....व इजलास.............पीठासीन अधिकारी........... **श्री अमीलाल यादव R.A.S.**

श्रवणराम बनाम बीरबलराम आदि

दावा बाबत ....**विभाजन, चिर निषेधाज्ञा**

मुकदमा नम्बर 96/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रू ब रू ......हाजरी **श्री अख्तर सोलंकी एडवोकेट** मिनजानिब मुदई व श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट, पैरोकार राज. .....मिन जानिब मुदापलेह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि

..... **वादी का वाद बाबत विभाजन जरिये राजीनामा, संलग्न नक्शा के अनुसार अन्तिम रूप से डिकी इस प्रकार किया जाता है कि वादगत वादगत खेत खाता नम्बर 436 खेत खसरा नम्बर 133 रकबा 12.6717 हैक्टेयर, खाता नम्बर 484 खसरा नम्बर 213 रकबा 12.3681 हैक्टेयर, खाता नम्बर 77 खसरा नम्बर 453 रकबा 10.6736 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 634 रकबा 11.9888 हैक्टेयर तथा खेत खाता नम्बर 748 खसरा नम्बर 1244/191 रकबा 6. 6393 हैक्टेयर वाके रोही ईयारा तहसील बीदासर का राजीनामा के पृष्ठ सख्या 2 व 3 में अंकितानुसार हिस्सा एवं नक्शा अनुसार पाखीयां हिस्सा पांती में रखते हूए प्रतिवादी सख्या 13, 14 वित्तिय संस्था बैंकों का हित सुरक्षित रखते हूए पृथक पृथक खातेदारी दर्ज कर अलग अलग लगान कायम किया जावे। राजीनाा व नक्शा अन्तिम डिकी का भाग रहेगा। इस प्रकार तहरीर प्रतिवादी सख्या 15 तहसीलदार बीदासर के नाम जारी हो। मामले के तथ्य परिस्थितियों को देखते हूए खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगे।**

फीस ....—........... मुबलिग..............—..............बाबत ....—...............खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ....—..........................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....—

..........—..........को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 3.........माह 7-2025

मुहर

उपखण्ड अधिकारी

दस्तखत.........

ओहदा बीदासर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा जो हर फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, अर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू

उपखण्ड अधिकारी

बीदासर